न्यायालय सहायक कलेक्टर ,रानीवाडा, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाशचन्द्र अग्रवाल , आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 04/2022

वादीया

1. पवनकंवर पत्नि पदमसिंह जाति राजपूत निवासी जाखडी तहसील रानीवाडा जिला जालोर

प्रतिवादीगण

1. शैतानसिंह पुत्र पदमसिंह
2. सुरजमल पुत्र पदमसिंह
3. शाखा प्रबन्धक महोदय, बैंक ऑफ इण्डिया शाखा रानीवाडा
4. उप पंजीयक महोदय, रानीवाडा
5. श्रीमान तहसीलदार रानीवाडा

अन्तर्गत धारा 88, 188 दावा बाबत खातेदारी हक व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति :–

1. वादी अधिवक्ता श्री रमेशकुमार गर्ग।
2. प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री श्रवणसिंह देवड़ा।
3. प्रतिवादी संख्या 4 व 5 राजपेरोकार तहसीलदार रानीवाडा।

निर्णय

दिनांक – 07.04.2022

1. वादीया द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्व अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वाद बाबत खातेदारी हक व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया जिनके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीनी के नाम मौजा धानोल में सामलाती खातेदारी आई हुई है, उनके खसरा नम्बर 229 रकबा 1.69 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम व जाव दोयम, खसरा नम्बर 230 रकबा 0.01 हैक्टेयर गै.मू. बैरा, खसरा नम्बर 231 रकबा 0.08 हैक्टेयर किस्म गै.मू. सडा, खसरा नम्बर 232 रकबा 6.45 हैक्टेयर किस्म साही दोयम, जाव दोयम, खसरा नम्बर 233 रकबा 1.76 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम व जाव दोयम जूमले रकबा 9.99 हैक्टेयर है। वर्तमान जमाबंदी में शैतानसिंह पुत्र पदमसिंह 1/3 हिस्सा, सुरजमल पुत्र पदमसिंह 1/3 हिस्सा, हंसाबाई पत्नि पदमसिंह 1/3 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। वादीनी का नाम बैचान दस्तावेज निष्पादित करते समय हंसाबाई पत्नि पदमसिंह जो लाड प्यार से पुकारते है दर्ज हो गया उसके पश्चात नामांकन प्रविष्टी भी हल्का पटवारी द्वारा उसी बैचान दस्तावेज के आधार पर हंसाबाई पत्नि पदमसिंह के नाम कर दी गई। लेकिन वर्तमान समस्त सरकारी दस्तावेज आधार कार्ड, चुनाव पहचान कार्ड, जनाधार कार्ड, राशन कार्ड तथा ग्राम पंचायत जाखडी द्वारा जारी प्रमाण पत्र इत्यादि में पवनकंवर पत्नि पदमसिंह नाम दर्ज है। वास्तविक नाम पवनकंवर ही है। हंसाबाई व पवनकंवर एक ही व्यक्ति का नाम है। पदमसिंह के हंसाबाई के साथ की अन्य औरत भी नहीं है। अतः समस्त सरकारी लाभांवित योजनाओं में एक ही नाम का [illegible] री है। अतः न्यायहित में राजस्व रेकर्ड में सुधार हेतु दावा ही एकमात्र विकल्प है [illegible] दीनी को जब नामांकन प्रविष्टी के पश्चात जानकारी हुई कि राजस्व रेकर्ड में हंसाबाई पत्नि पदमसिंह दर्ज हो गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.06.24 12:48:20 IST
Reason: SelfAttested

वादीनी का राजस्व रेकर्ड में अलग–अलग नाम दर्ज होने से वादीनी खातेदारी हक से वंचित हो गई है।

2. विनाय वाद दावा तब उत्पन्न हुआ जब आज से 2 माह पूर्व वादीनी ने हल्का पटवारी से प्रधानमंत्री किसान निधी योजना के तहत राजस्व रेकर्ड जमाबंदी व वर्तमान चालु नक्शा ट्रेस प्राप्त किया तथा हल्का पटवारी को अन्य सरकारी बताने पर हल्का पटवारी ने बताया कि आपका नाम राजस्व रेकर्ड तथा अन्य सरकारी दस्तावेजों में अलग–अलग नाम से सहायता प्राप्त नहीं कर सकते। तब से वादकरण निरन्तर जारी है।

3. इस्तदुआ वादीनी की है कि मौजा धानोल में सामलाती खातेदारी आई हुई है, उनके खसरा नम्बर 229 रकबा 1.69 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम व जाव दोयम, खसरा नम्बर 230 रकबा 0.01 हैक्टेयर गै.मू. बैरा, खसरा नम्बर 231 रकबा 0.08 हैक्टेयर किस्म गै.मू. सडा, खसरा नम्बर 232 रकबा 6.45 हैक्टेयर किस्म साही दोयम, जाव दोयम, खसरा नम्बर 233 रकबा 1.76 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम व जाव दोयम जूमले रकबा 9.99 हैक्टेयर है। वर्तमान जमाबंदी में शैतानसिंह पुत्र पदमसिंह 1/3 हिस्सा, सुरजमल पुत्र पदमसिंह 1/3 हिस्सा, हंसाबाई पत्नि पदमसिंह 1/3 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। वादीनी के समस्त सरकारी दस्तावेज आधार कार्ड, चुनाव पहचान कार्ड, जनाधार कार्ड, राशन कार्ड, तथा ग्राम पंचायत जाखडी द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर राजस्व रेकर्ड में दर्ज नाम हंसाबाई के स्थान पवनकंवर पत्नि पदमसिंह के पक्ष में खातेदारी हक की घोषणा करते हुये राजस्व रेकर्ड में अमलदरामदगी की तहरीर भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा को जारी करावें।

4. वादीया का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को समन जारी किये गए। प्रतिवादी संख्या 1, 2, की ओर से जरिये अधिवक्ता इकबालिया जवाब दिया गया। जिनके अनुसार वादीया के तथ्य स्वीकार कर अनुताष इस्तदुआ अनुसार अनुतोष दिये जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी संख्या 4 व 5 की ओर से राजपेरोकार द्वारा जवाब पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 बाद तामिल समन कोई उपस्थित नही होने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

5. प्रतिवादी संख्या 4 व 5 की ओर से तहसीलदार रानीवाडा द्वारा जवाब पेश किया गया, जिनके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि मौजा धानोल के खसरा नम्बर 229, 230, 231, 232, 233 रकबा 9.99 हैक्टेयर में शैतानसिंह पुत्र पदमसिंह 1/3, सूरजमल पुत्र पदमसिह 1/3 हंसाबाई पत्नि पदमसिंह 1/3 कौम राजपूत के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। वादीया वर्तमान जमाबंदी में वादीया का नाम उक्त खसरों में हंसाबाई पत्नि पदमसिंह दर्ज है। वादीया द्वारा प्रस्तुत दिनांक 08.06.1989 को पंजिबद्व बैचान दस्तावेज में खरीददार का नाम हंसाबाई पत्नि पदमसिंह निवासी जाखडी लिखा हुआ है। वादीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार कार्ड, राशन कार्ड में वादीया का नाम पदम कंवर है। ग्राम पंचायत जाखडी द्वारा जारी प्रमाण पत्र में वादीया का नाम पदम कंवर है। हंसाबाई एक ही महिला के दो नाम होना बताया गया है। वर्तमान जमाबंदी में वादीया का नाम हंसाबाई है तथा वादीया के पास उपलब्ध दस्तावेजों में पवनकंवर नाम है, जिससे वादीया को नाम का मिलान न होने से प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के तहत राशि प्राप्त नहीं हो रही है।

6. हमने वादीया व प्रतिवादीगण अधिवक्ता व राजपेरोकार तहसीलदार रानीवाडा की बहस सूनी गई। वादीया व प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों का दोहरान करते हुए बताया कि राजस्व रेकर्ड में हुई त्रुटि के कारण वादीया को भारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.06.24 12:48:20 IST
Reason: SelfAttested

परेशानियों का सामना करना पड रहा है तथा सरकारी सहायता ऋण वगैरा से प्रार्थीगण वंचित रह रहे है। जिस कारण मौजा धानोल के खसरा नम्बर 229, 230, 231, 232, 233 रकबा 9.99 हैक्टेयर में राजस्व त्रुटि को शुद्व कर सहखातेदार का नाम हंसाबाई पत्नि पदमसिंह के बजाव पवनकंवर पत्नि पदमसिंह नाम राजस्व रेकर्ड में शुद्व करने का आदेश फरमावें।

7. प्रतिवादी संख्या 4 व 5 तहसीलदार रानीवाडा द्वारा बहस में जवाब के कथनों को दोहराते हुए मौजा धानोल के खसरा नम्बर 229, 230, 231, 232, 233 रकबा 9.99 हैक्टेयर में राजस्व त्रुटि को शुद्व कर सहखातेदार का नाम हंसाबाई पत्नि पदमसिंह के बजाव पवनकंवर पत्नि पदमसिंह किया जाना उचित बताया।

8. हमने वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र, संलग्न दस्तावेजों का भली–भांती अवलोकन किया व प्रतिवादी अधिवक्ता व तहसीलदार रानीवाडा के जवाब का अध्ययन किया। वादीया व प्रतिवादी अधिवक्ता व राजपेरोकार तहसीलदार रानीवाडा के बहस तथ्यों पर मनन किया। वादीया के वाद के संलग्न दस्तावेजों व तहसीलदार रानीवाडा के जवाब व बहस तथ्यों के आधार पर मौजा धानोल तहसील रानीवाडा की जमाबंदी संवत 2074–2077 के खसरा नम्बर 229, 230, 231, 232, 233 रकबा 9.99 हैक्टेयर में राजस्व त्रुटि को शुद्व कर सहखातेदार हंसाबाई पत्नि पदमसिंह के स्थान पर पवनकंवर पत्नि पदमसिंह के नाम खातेदारी हक की घोषणा उचित प्रतित होता है।

—: आदेश :—

9. अतः उपयुक्त विवेचन के आधार पर वादीया का वाद स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रानीवाडा को आदेश दिया जाता है कि **मौजा धानोल पटवार हल्का धानोल की जमाबंदी सवंत 2074–2077 के खाता संख्या 580 में वर्णित खातेदारी खसरा नम्बर 229, 130, 231, 232, 233 रकबा 9.99 हैक्टेयर की कृषि भूमि में जरिये संशोधित रेकर्ड दुरूस्ती की घोषणा में सहखातेदार हंसाबाई पत्नि पदमसिंह के स्थान पर पवनकंवर पत्नि पदमसिंह को खातेदार घोषित किया जाता है।** उक्तानुसार डिक्री पर्चा जारी हो। आदेश की पालना हेतु आदेश की प्रति तहसीलदार रानीवाडा को भेजी जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
सहायक कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला–जालोर

निर्णय आज दिनांक 07.04.2022 को मेरे द्वारा सरे इजलाज सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला–जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.06.24 12:48:20 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल्स 6–7, जाब्ता दीवानी)

(civil procedure code, Appendix “D”-1)

अज अदालत सहायक कलेक्टर रानीवाडा जिला जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश चन्द्र अग्रवाल आर.ए.एस.

वादीया		प्रतिवादीगण
पवनकंवर पत्नि पदमसिंह जाति राजपूत निवासी जाखडी तहसील रानीवाडा जिला जालोर	बनाम	1. शैतानसिंह पुत्र पदमसिंह 2. सुरजमल पुत्र पदमसिंह 3. शाखा प्रबन्धक महोदय, बैंक ऑफ इण्डिया शाखा रानीवाडा 4. उप पंजीयक महोदय, रानीवाडा 5. श्रीमान तहसीलदार रानीवाडा

अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 04/2022

यह मुकदमा आज इनफिसाल कत्तई रूबरू पक्षकारान व हाजरी वादीया की ओर से वकील श्री रमेशकुमार गर्ग उपस्थित, प्रतिवादी सं. 1 व 2 की ओर से वकिल श्री श्रवणसिंह देवडा व प्रतिवादी संख्या 4 व 5 तहसीलदार रानीवाडा उपस्थित। मनजानिव मुद्रायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि **मौजा धानोल पटवार हल्का धानोल की जमाबंदी सवंत 2074–2077 के खाता संख्या 580 में वर्णित खातेदारी खसरा नम्बर 229, 130, 231, 232, 233 रकबा 9.99 हैक्टेयर की कृषि भूमि में जरिये संशोधित रेकर्ड दुरूस्ती की घोषणा में सहखातेदार हंसाबाई पत्नि पदमसिंह के स्थान पर पवनकंवर पत्नि पदमसिंह को खातेदार घोषित किया जाता है।**

बशर्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 07.04.2022 को जारी की गई।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
सहायक कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला–जालोर

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दयलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	2	00	स्टाम्प वकालतनामा	1	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	जवाबदावा	2	00
स्टाम्प वजह सबूत	0	00	स्टाम्प अर्जी	0	00
महनताना वकील	0	00	महनताना वकील	0	00
खर्चा गवाहान	0	00	खर्चा गवाहान	0	00
फीस कमीश्नर	0	00	फीस कमीष्नर	0	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00	बाबत [illegible] हुक्मनामा	0	00
मुतफरिक	0	00	मुतफरिक	0	00
मौजाना	3	00		3	00

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.06.24 12:48:20 IST
Reason: SelfAttested